

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம் (தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகம் இந்திய அரசு) சுசுப்பி राज्य बीசா செगச

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, **भारत सरकार**) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India**) AFCUPU SUCH

மண்டல அலுவலகம்/ क्षेत्रीय कार्यांलय / Regional Office 143, ஸ்டெர்லிங் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-600 034. 143, स्टर्लिंग रोड, नुंगमबाक्कम, चेन्नै-600 034.

दिनांक Date : 07.03.2025

143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai–600 034. Phone: 044-28306300 (100 Lines)

E-mail: rd-tamilnadu@esic.gov.in

Website: www.esic.gov.in/www.rotamilnadu.esic.gov.in

संख्या No.51-A/21/16/1/2010-11/ रोकड़ Cash

परिपत्र CIRCULAR

मुख्यालय के पत्र सं.सी-11/11/3/2002 - सतर्कता (अनुदेश 3/2002) दिनांक 16.04.2002 के अनुसरण में सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि वे वांछित प्रमाण पत्र जैसा कि अनुबंध-क और अनुबंध-ख (जो लागू हो) में दिया गया है, को तुरंत प्रेषित करें। ऐसा न करने पर संबंधित कर्मचारी का मकान किराया भता रोक लिया जाएगा।

In pursuance of Hqrs. Letter No.C-11/11/3/2002. Vig. (Instruction 3/2002) dated 16.04.2002 all the officials are requested to furnish the required certificate as in Annexure-A and Annexure-B (whichever is applicable) immediately, failing which the HRA will not be released.

उप निदेशक (रोकड़) Deputy Director (Cash)

Regional Office, E & I Corporation

Note: Kindly fill the Employee no, Name and Branch in the Annexure (whichever is applicable)

सेवा में To

सभी शाखा अधिकारी All Branch Officers / शाखाएँ Branches in Regional Office, चेन्नै Chennai-34.

प्रतिलिपि Copy to:

सभी शाखा प्रबंधकों को इस निवेदन के साथ कि वे चालू वर्ष के लिए वेतन और भता आहरित करने के लिए कर्मचारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करें। वेतन बिल के साथ संलग्न प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष प्राप्त किया जाए।

All Branch Managers in Chennai Region, with a request to get the necessary certificates from the officials for drawl of Pay and Allowances for the current year. This certificate may please be obtained every year.

उप निदेशक (रोकड़) Deputy Director (Cash)

Dy. Director (Cash.)
Regional Office, E S I Corporation
143, Sterling Road in angle 600 036

वैय.फा.सं. Per. File No: अनुबंध-क ANNEXURE-A

UNION UNIONE CERTIFICATE

(परिपत्र सं.सी-11/11/3/2002-सतर्कता दिनांक 16/2/2002 द्वारा परिचालित मुख्यालय अनुदेश सं.3/2002 के अध्ीन यथा अपेक्षित As required under Headquarters Instruction No. 3/2002 circulated vide No. C-11/11/3/2002-Vig. Dated:16/4/2002)

1.मैं क.रा.बी.निगम / केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / किसी स्वायत्त सार्वजनिक उद्यम / अर्ध-सरकारी संगठन जौसे कि नगरपालिका / पोर्ट ट्रस्ट /राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम आदि दवारा आबंटित आवासीय व्यवस्था में निवास कर रहा हुँ।

I am residing in the residential accommodation allotted to me by E.S.I. Corporation/ Central Govt. / State Government / an autonomous Public Undertaking / Semi-Government organization such as a Municipality / Port Trust / Nationalised Banks, Life Insurance Corporation of India etc.

- मैं निम्न संबंधी को आबंदित आवासीय व्यवस्था में निवास कर रहा हँू।
 I am residing in the residential accommodation allotted to the following relative:-
 - (i) संबंधी (आबंटिती) का नाम एवं पदनाम Name of the relative (allottee) and Designation:
 - (ii) आबंटिती के साथ संबंध Relationship with allottee
 - (iii) आबंटिती को आवासीय व्यवस्था के आबंटन की तारीख Date of allotment of Residential accommodation to allottee :
 - (iv) आवासीय व्यवस्था आबंटित करने वाला कार्यालय Office which has allotted the accommodation :
 - (v) आवास का पता Address of the accommodation
 - मैं अन्यथा मकान किराया भत्ता आहरित करने का हकदार नहीं हूं।
 I am otherwise not entitled to draw HRA.

इसलिए मेरे मामले में मकान किराया भत्ता आहरित करना आवश्यक नहीं है। Therefore, HRA need not be drawn in my case.

दिनांक Date:

हस्ताक्षर SIGNATURE:

(कर्मचारी का नाम और पदनाम NAME AND DESIGNATION OF OFFICIAL)

प्रमाण पत्र CERTIFICATE

(परिपत्र सं.सी-11/11/3/2002-सतर्कता दिनांक 16/2/2002 द्वारा परिचालित मुख्यालय अनुदेश सं.3/2002 के अधीन यथा अपेक्षित As required under Headquarters Instruction No. 3/2002 circulated vide No. C-11/11/3/2002-Vig. Dated:16/4/2002)

मुझे क.रा.बी.निगम, सरकार इत्यादि द्वारा कोई आवासीय व्यवस्था आवंटित नहीं की गई है। मेरे पति/पत्नी को भी इसी स्टेशन में ऐसी कोई आवासीय व्यवस्था आबंटित नहीं की गई है। मैं अपने माता-पिता अथवा पुत्र अथवा पुत्री को आबंटित किए गए आवास में भी नहीं रह रहा / रही हूं।

में किराया-रहित आवास में किसी अन्य कर्मचारी के साथ भी नहीं रह रहा / रही हूं।
I have not been allotted any residential accommodation by E.S.I. Corporation, Govt. etc.,
My spouse has also not been allotted any such residential accommodation in the same station. I
am also not residing in any residential accommodation allotted to my parents or son or daughter. I
am also not sharing rent-free accommodation allotted to any other employee.

मैं मकान किराया भत्ते के लिए हकदार हूं। इसलिए मकान किराया भत्ता आहरित किया जाए।यदि भविष्य में मकान किराया भत्ता आहरित करने के लिए पात्र नहीं रहूंगा / रहूंगी तो मैं तत्काल इसकी सूचना कार्यालय को देने का वचन लेता / लेती हूं। और उस तारीख से मकान किराया भत्ता आहरित नहीं करूँगा / करूँगी।

I am entitled for HRA and, therefore, HRA may be drawn. If, in future, I become not eligible to draw HRA, I undertake to inform the office immediately and, will not draw HRA from such date.

दिनांक Date:

(कर्मचारी का नाम और पदनाम NAME AND DESIGNATION OF OFFICIAL)
टिप्पणी Note:

1. मुख्य आकस्मिकताएं जिनमें मकान किराया भत्ता आहरित नहीं किया जा सकता : MAIN CONTIGENCIES IN WHICH HRA CANNOT BE DRAWN:

क.रा.बी.निगम का कोई भी अधिकारी / कर्मचारी मकान किराया भत्ता आहरित करने का हकदार नहीं है, यदि वह निम्न में से है। No Officer/Official of the ESI Corporation is entitled to draw HRA, if among others-

- (i) उसे क.रा.बी.निगम/सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आदि द्वारा कोई आवासीय व्यवस्था आबंटित की गई हो ; अथवा He/She has been allotted any Residential accommodation by E.S.I. Corporation Govt./ Semi-Govt./authnomous body / Public Sector undertaking etc; or
- (ii) वह किसी अन्य कर्मचारी के साथ किराया रहित आवास में रह रहा हो ; अथवा He/She has been sharing a rent-free accommodation allotted to another employee; or
- (iii) उसके पति/पत्नी को उसी स्टेशन में ऐसे किसी संगठन द्वारा आवासीय व्यवस्था आबंटित की गई हो ; अथवा

Residential accommodation has been allotted by any such organization to his/her spouse in the station.

(iv) उसे एक सप्ताह पहले आवासीय व्यवस्था आबंटित की गई हो किंतु उसके द्वारा अभी तक कब्जा नहीं लिया गया हो :

Allotment of residential accommodation has been made a week back which has not so far been taken possession of by him/her; or

(v) वह क.रा.बी.निगम द्वारा प्राधितकृत पट्टा आवास में रह रहा हो ;

He/she is residing in leased accommodation, authorized by E.S.I. Corporation.

2.यह प्रमाण-पत्र प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा, क.रा.बी.निगम में पहली नियुक्ति पर वेतन आहरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल में तथा बाद में जब वह मकान किराया भत्ता आहरित करने का हकदार हो जाता है (यदि वह मानता है कि वह मकान किराया

भत्ता आहरित करने का हकदार है।), दिया जाना आवश्यक है। This Certificate is to be given by every employee(including officers) for drawal of pay on first appointment in E.S.I. Corporation, in April every year and subsequently when he becomes entitled to draw HRA (if he thinks he is eligible to draw HRA).